अध्याय XVIII : सामान्य

18.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के निरन्तर अनुदेशों/अनुशंसाओं के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने, लोक समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी 62 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, पिछले पांच वर्षों से लम्बित का.टि. की स्थिति में सुस्पष्ट सुधार था।

लोक सभा सचिवालय ने, सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत होने के पश्चात इनमें निहित विभिन्न पैराग्राफों पर उपचारी/की गई शोधक कार्रवाई दर्शाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां भेजने के लिए अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए थे।

संसद में, 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किए गए अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यह अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर का.टि., संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जांच कराकर उनको प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, 29 अप्रैल 2010 में संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने अनुशंसा की कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. को का.टि. प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्बों के सभी मामलों

में व्यक्तिगत रूप से मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

लो.ले.स. ने यह भी इच्छा की थी कि का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्बों से संबंधित मामलों को आवधिक रूप से, ज्यादातर तिमाही अंतराल पर सचिव समिति (स.स.) के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि सभी चूककर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण पर कार्रवाई की जाए।

लो.ले.स. की अनुशंसाओं के अनुसरण में, स.स. द्वारा कैबिनेट सचिवालय में तीन बैठकें की गई थीं जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:

(i) मंत्रालय/विभागों में सचिव, जो मुख्य लेखांकन अधिकारी हैं, निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा पैराओं/लो.ले.स. प्रतिवेदनों पर का.टि./का.रि. को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ii) उपयुक्त शोधक उपाय करने के अतिरिक्त नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के पैराओं पर का.टि. तथा लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर का.रि. के प्रस्तुतीकरण की मॉनीटरिंग हेतु प्रत्येक मंत्रालय द्वारा वित्तीय सलाहकार सहित सचिव/विशेष सचिव द्वारा अध्यक्षता वाली स्थायी लेखापरीक्षा समिति (स्था.ले.प.स.) स्थापित की जाएगी।

(iii) का.टि. के तीव्र प्रस्तुतीकरण हेतु का.टि. अदालतों/कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

जनवरी 2012 से स.स. की कोई बैठक नहीं हुई थी। तथापि, का.टि. की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 22 नवम्बर 2012 तथा 26 फरवरी 2014 को अधिकारियों के समूह की दो बैठकों का आयोजन किया गया था।

लो.ले.स. 'का.टि. के सामयिक प्रस्तुतीकरण में मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन न करने' के मामले पर वर्षों से गठित अपनी उप-समितियों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की आवधिक रूप से समीक्षा कर रही है।

लो.ले.स. की उप-समिति IV (2013-14 एवं 2014-15) ने 'का.रि.' के सामायिक प्रस्तुतीकरण में मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन न करने के मामले की जांच भी की है। उप-समिति उन मामलों में आलोचनात्मक रही है जिनमें मंत्रालय/विभाग पहली बार का.टि. प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं तथा जिनमें वह लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के पांच से दस वर्षों के पश्चात भी समिति को अंतिम का.टि. प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

लो.ले.स. द्वारा इसकी ग्यारहवीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में दिए गए निर्देश के अनुपालन में, लेखापरीक्षा पैरा मॉनीटरिंग प्रणाली (ले.प.पै.मा.प्र.) के रूप में जानी जाने वाली एक कम्प्यूटरीकृत वैब-आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली को ले.म.नि. के कार्यालय द्वारा विकसित किया गया था। ले.प.पै.मा.प्र. को ऑनलाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से का.टि. के प्रस्तुतीकरण के कार्य को सुदृढ़ करने, व्यवस्थित बनाने तथा तीव्रतर करने हेतु एक प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रदान करना है। तथापि, 25 नवम्बर 2014 में प्रस्तुत अपनी प्रथम रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में लो.ले.स. द्वारा निराशा सहित यह पाया गया था कि 81 में से केवल 21 मंत्रालय पोर्टल का उपयोग कर रहे थे फिर भी वे मंत्रालय भी जो इस पोर्टल का उपयोग कर रहे थे, पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में अधिक स्पष्टवादी नहीं थे।

का.टि. की ऑनलाईन मॉनीटरिंग को पूर्ण कार्यात्मक बनाने के लिए लो.ले.स. के निर्देश को ध्यान में रखते हुए यह अत्यावश्यक है कि लेखापरीक्षा कार्यालयों को इन का.टि. के प्रति अपने पुनर्निरीक्षण टिप्पणियों को अपलोड करने में समर्थ

बनाने के लिए सभी मंत्रालय इन का.टि. के नियत होते ही अपलोड करना आरम्भ करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.ले.स. की लगातार सलाह तथा निर्देश के साथ लंबित का.टि. की स्थिति घटती हुई प्रवृत्ति की ओर जारी रही जैसा निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

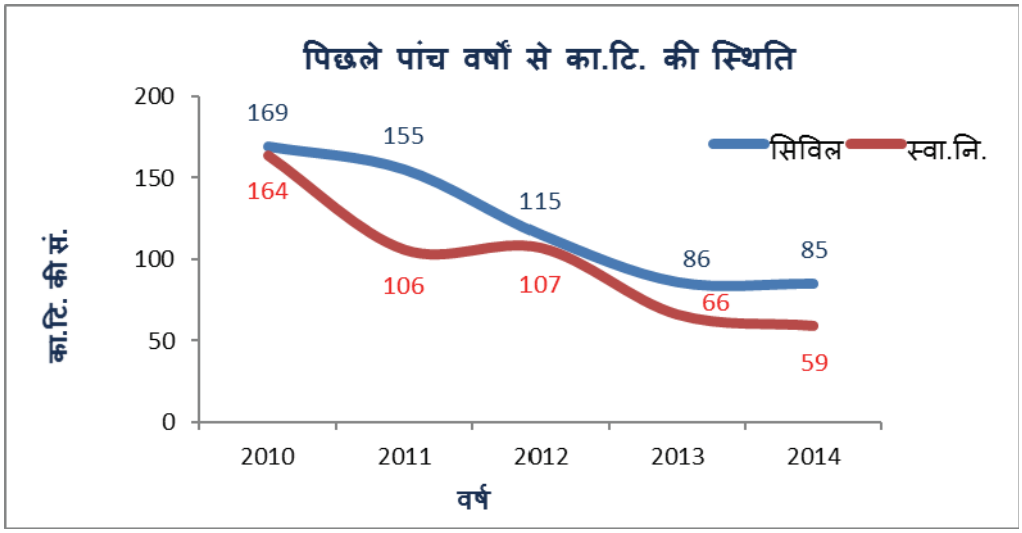

2010 में 333से 2014 में 144 तक लम्बित का.टि. की संख्या में 57 प्रतिशत की गिरावट थी। 31 मार्च 2014 की समाप्त अवधि तक लम्बित का.टि. को मंत्रालय वार स्थिति **परिशिष्ट XIV** में दी गई है। 144 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, में से 62 पैराग्राफों के संबंध मे का.टि. बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई थी।

18.2 ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 42 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से 21 के प्रत्युत्तर नहीं भेजे थे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए

प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रत्युत्तर, पैराग्राफ की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन में शामिल 42 पैराग्राफों में से 21 में, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। ब्यौरे **परिशिष्ट XV** में दर्शाए गए हैं।

नई दिल्ली
दिनांक: 01 मई 2015

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 08 मई 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक